न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00436 (319/2018) विविध प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 196 सीपीसी

राजपाल पुत्र बृजलाल जाति अरोड़ा निवासी पंडित दीनदयाल स्कूल के पास अग्रसैन नगर श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर –प्रार्थी

बनाम

1. मघाराम
2. किरताराम
3. भूपसिंह
4. केसरदेवी
5. विमलादेवी

पुत्र पुत्रियॉ गणपतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

6. इन्द्रावती पत्नी बेलीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
7. रमेश पुत्र बेलीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
8. सुभाष पुत्र बेलीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिल हनुमागनढ
9. तहसीलदार राजस्व भादरा

– अप्रार्थी

विरूद्ध आदेश दिनांक 05.12.2017 राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ अपील संख्या 32/2014

श्री खुशप्रीतसिह अधिवक्ता प्रार्थी

श्री विजय कौशिक प्रार्थी संख्या 2

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः–10.05.2019

1. उपखण्ड अधिकारी भादरा के निर्णय दिनांक 03.05.2013 के विरूद्ध अपील प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी जो दिनांक 05.12.2017 को डिफाल्ट एवं अदम हाजरी पैरवी में खारिज की गई है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 19 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील पुनः बाजबा नम्बर पर लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के अधीवक्ता ने प्रार्थी को हिदायत दी थी कि उसे हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। आवश्कता होने पर मोबाईल पर सूचना देकर बुला लेंगे। परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता ने ना तो सूचना दी ना ही हाजिर अदालत हुए। इसलिए प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज किया गया है जो गलत है। प्रकरण का गुणावगुण पर होना चाहिए । दिनांक 05.09.2018 को प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उसके द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी दी जिस पर नकल प्राप्त कर आवेदन पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अधीवक्ता की गलती की वजह से प्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता। अपील में गुणावगुण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

पर बिन्दू निहित हैं इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपील रेस्टोर किये जाने का कथन किया। अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2012 पेज 838,आरआरडी 2014 पेज 593 व 2017 आरआरडी पेज 602 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 32/2014 अपीलाण्ट प्रार्थी ने प्रस्तुत की थी। प्रार्थी को रेस्पोडेण्ट के नोटिस तलवाना प्रस्तुत करने के लिए अनेक अवसर दिये गये। परन्तु तीन वर्ष तक उनके द्वारा नोटिस तलवाना नहीं प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 05.12.2017 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थी की अपील डिफाल्ट में और अदम हाजरी में खारिज कर दी थी, जो विधि सम्मत है। प्रार्थी प्रकरण की पैरवी में निष्क्रीय रहे है। उन्होंने ये भी बताया कि सम्मन तलवाना नहीं पेश करने से प्रकरण खारिज किया जाता है तो उसको इसी न्यायालय में रेस्टोर नहीं किया जा सकता बल्कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रिविजन की जा सकती है। रिविजन का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। इस संबंध में उन्होंने आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के संदर्भ/प्रावधान/उद्धरण की छाया प्रति पेश की। इसलिए अपील विधि सम्मत तरीके से खारिज की है। सम्मन तलवाना के अभाव में खारिज आदेश को बहाल करने आदेश 41 नियम 19 में कोई प्रावधान नहीं है तथा आवेदन पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया होने के आधार पर भी आवेदन पत्र खारिज किया जाने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. न्यायालय के आदेश दिनांक 05.12.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह आदेश प्रार्थी द्वारा सम्मन तलवाना प्रस्तुत नहीं करने के कारण डिफाल्ट में एवं अपीलाण्ट के उपस्थित नही होने के आधार पर खारिज की गई है। अपील संख्या 32/2014 जो सन् 2014 से लम्बित थी एवं दिनांक 05.12.2017 अर्थात 3 वर्ष पश्चात् अपील डिफाल्ट में खारिज किये जाने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने लगभग 3 वर्ष तक तलवाना प्रस्तुत नहीं किया। सम्मन तलवाना पेश नहीं होने के कारण डिफाल्ट में खारिज अपील को आदेश 41 नियम 19 में रेस्टोर किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है एवं आदेश 41 नियम 19 में प्रार्थी द्वारा जो कथन किये गये हैं। प्रकरण अदम हाजरी व सम्मन तलवाना पेश नहीं करने के कारण खारिज किया गया है। सम्मन तलवाना पेश नहीं करने से संबंधित डिफाल्ट के क्रम में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रिविजन पेश की जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों को रेस्टोर करने का क्षेत्राधिकार नहीं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण इस प्रकरण में चस्पा नही होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

10/5/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official